प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 17 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री मंगली उर्फ रामखेलावन, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री मंगली उर्फ रामखेलावन, देवमई, थाना-जहानाबाद वर्तमान थाना-बकेवर, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी के विवाद के कारण दिनांक 31.07.1989 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लालू प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-210/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 25.10.1990 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.02.2020 तक 02 वर्ष, 02 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 08 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-171/2017) पुत्र श्री मंगली उर्फ रामखेलावन, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-226/2023/1607(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फतेहपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।